दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06/12/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी हाजिर है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का वकालतनामा व जवाब वर्ष 2021 से आदिनांक पेश नहीं हुआ है, पर्याप्त अवसर पूर्व में दिये जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक वकालतनामा व जवाब पेश नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण 2 व 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। उपस्थित वकील वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अ. धा. 151 जा. दी. बाबत नाम हजफ प्रतिवादी संख्या-1 हेतु बहस प्रा० पत्र सुनी जाकर प्रस्तुत प्रा० पत्र व पत्रावली, पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी इत्यादि दस्तावेज का अवलोकन, मनन उपरान्त प्रार्थना-पत्र अ. धा. 151 जा. दी. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या-1 का नाम हजफ किया जाता है, जिसका नाम खारिज से अंकन हो। तत्पश्चात वकील वादी द्वारा वाद पत्र अ. धा. 188 R.T. Act पर प्रस्तुत बहस सुनी जाकर पुनः पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। वकील वादी के अनुसार खसरा नं. 50 वाके ग्राम इन्द्रसिंहपुरा का वादी खातेदार काश्तकार है एवं 51 लगायत 56 [illegible] कन्हैयालाल भी [illegible] खातेदारी दर्ज है, [illegible] मुजाबी काश्त करता चला रहा है। क्रमशः	उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.01.27 13:54:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
		पीछे से निरंतर......
		इस प्रकार उक्त संपूर्ण भूमि एक ही जाव में स्थित है, जिसको वादी शामलाती में कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण (पड़ौसी) के मध्य पूर्व दिशा की मेड पर डोल लगी हुई है। प्रतिवादीगण स्वयं की भूमि खसरा नं. 61 में बिना भू-रूपांतरण करवाये मध्य की मेड/डोल को हटाकर वादी की खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने की गरज से निर्माण करवा रहे हैं। बिना सीमाज्ञान, बिना भू-रूपांतरण ऐसा नहीं करने हेतु कहने पर झगड़े पर आमादा हो गये।
		वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बहस से संतुष्ट होने के उपरांत पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी, नक्शे इत्यादि का अवलोकन, मनन के आधार पर दावा वादी का अं. धा. 188 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को वादी के खातेदारी की भूमि ख. नं. 50 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं अपने खसरा नं. 61 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा में पश्चिम दिशा की ओर (वादी के हिस्से के पूर्व दिशा में) में मध्य में बनी सीवमेड को, बिना सीमाज्ञान करवाये, नहीं हटावे तथा वादी की खातेदारी व हक हिस्से में बाधा उत्पन्न [illegible] हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी [illegible] से पाबंद किया जाता [illegible] तहरीर [illegible] से जारी हो। पत्रावली [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।
		(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी टोंक/[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.01.27 13:54:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner